



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



12 चैत्र, 1946 (श०)

संख्या - 199 राँची, सोमवार,

1 अप्रैल, 2024 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

संकल्प

31 जनवरी, 2024

विषय:-श्रीमती विनीता उराँव, पति- श्री भीम उराँव, ग्राम- वृन्दा नायक टोली, पो०-डुमरडीह, था०+जि०-गुमला को प्रोत्साहन पुरस्कार राशि एवं सरकारी सेवा में नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या-640--दिनांक-05.05.2020 की रात्रि में पी०एल०एफ०आइ० संगठन के उग्रवादियों द्वारा श्रीमती विनीता उराँव, पति-श्री भीम उराँव, ग्राम-वृन्दा नायक टोली, पो०-डुमरडीह, था०+जि०-गुमला के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने के क्रम में श्रीमती उराँव द्वारा आत्मरक्षार्थ किये गये हमले में उक्त संगठन के एरिया कमाण्डर को मार गिराने का मामला विभाग के संज्ञान में आया है । तदक्रम में परिवार की सुरक्षा, सरकारी नौकरी एवं मुआवजा तथा अन्य सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी श्रीमती उराँव के अभ्यावेदन के आलोक में दिनांक-30.09.2020 को संपन्न जिला अनुकम्पा समिति गुमला द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया ।

2. ध्यातव्य हो कि झारखण्ड राज्य उग्रवाद प्रभावित राज्य है, ऐसे में श्रीमती उराँव द्वारा आत्मरक्षार्थ किये गये उक्त हमले में नक्सली को मार गिराने का कार्य उनके अदम्य साहस, बहादूरी का परिचायक है तथा अति सराहनीय है। ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करने एवं झारखण्ड राज्य के सामान्य जनता / नागरिक को उग्रवादियों के खिलाफ संगठित होकर मुकाबला करने के उद्देश्य से उनको प्रोत्साहन राशि एवं सरकारी सेवामें नियुक्ति दिये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है जिससे अन्य सामान्य नागरिक भी उत्प्रेरित हो सके एवं उग्रवाद के खिलाफ राज्य सरकार के प्रयास को सकारात्मक बल मिल सके।

3. उपरोक्त वर्णित पृष्ठ भूमि में राज्य सरकार के सभी नियमों को शिथिल करते हुए श्रीमती विनीता उराँव, पति-श्री भीम उराँव, ग्राम-वृन्दा नायक टोली, पो०-डुमरडीह, था०+जि०-गुमला को निम्नवत सरकारी लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है:-

i. प्रोत्साहन राशि रु० 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) मात्र के भुगतान की स्वीकृति, जिसे सादृश्य अन्य किसी मामले में पूर्वोद्धारण नहीं माना जायेगा।

ii. सरकारी सेवा में गुमला जिला अंतर्गत चतुर्थवर्गीय पद पर नियुक्ति की स्वीकृति जिसे सादृश्य अन्य किसी मामले में पूर्वोद्धारण नहीं माना जायेगा।

4. उक्त प्रोत्साहन राशि की निकासी "मुख्य शीर्ष 2055-पुलिस, लघु शीर्ष 109-जिला पुलिस, उप शीर्ष 97. प्रतिबंधित / कुख्यात अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी पर घोषित पुरस्कार, विस्तृत शीर्ष 01 वेतन, 06-पुरस्कार" से विकलनीय होगा। उक्त राशि के निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपायुक्त, गुमला होंगे एवं राशि की निकासी जिला कोषागार, गुमला से की जाएगी। इस राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

5. उक्त पर विभागीय संलेख ज्ञापांक-188, दिनांक-10.01.2024 के क्रम में राज्य मंत्रीपरिषद की दिनांक 24.01.2024 के सम्पन्न बैठक में मद संख्या-14 के रूप में अनुमोदन प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अविनाश कुमार,

सरकार के अपर मुख्य सचिव।
